



**न्यायालय श्रीमान बोर्ड आफ रेवेन्यू ग्वालियर म.प्र.**

162

रि- 948-98R114

पुनरीक्षण याचिका कं ...../14

मेसर्स जे.वी.के. इन्फ्रा द्वारा पार्टनर  
श्री राजेश कालरा आ. श्री प्रताप राय कालरा,  
आयु वयस्क, निवासी- 27-ए, गोपाल बाग,  
इन्दोर म.प्र.

अपीलार्थी/पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. अनिस अहमद आ. स्व. श्री मंजूर अहमद,  
आयु लगभग 75 वर्ष, निवासी-  
हमीदिया बालक विद्यालय के पीछे,  
गिन्नौरी, भोपाल।

Entry 234

2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर भोपाल ---

अनावेदकगण/प्रत्यर्थी

अनवर मोहम्मद खान  
आ.स्व श्री असगर मोहम्मद खान,  
आयु लगभग 60 वर्ष,  
निवासी- म.नं. 47 एनआर.आई कालोनी,  
कोहेफिजा, भोपाल म.प्र.।

4. जफस मोहम्मद खान  
आ. स्व. श्री असगर मोहम्मद खान,  
आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी- म.नं. 05  
फिजा पैलेस, कोहेफिजा, भोपाल म.प्र.

5. ताजवर मोहम्मद खान  
आ. स्व. श्री असगर मोहम्मद खान,  
आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी- बंगला नं. 10, 11  
फिजा पैलेस-2, कोहेफिजा, भोपाल म.प्र.

6. श्रीमती आएशा परवीन  
पत्नि श्री रिजवान अनवर खान  
आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी- म.नं. 23  
हेमिलटन कोर्ट, एयरपोर्ट रोड, भोपाल।

7. शौकत मोहम्मद खान,  
आ. स्व. श्री असगर मोहम्मद खान,  
आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी-म.नं. 68,  
एन.आर.आई. कालोनी,  
कोहेफिजा, भोपाल म.प्र. --- आपत्तिकर्ता/प्रत्यर्थी

**पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959**

उपरोक्त पुनरीक्षणकर्ता, तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी  
नगर के न्यायालय द्वारा प्रकरण कं 156/अ-6/12-13 (मेसर्स जे.वी.के.  
इन्फ्रा विरुद्ध अनिस अहमद व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12.06.13 से  
व्यथित होकर वर्तमान पुनरीक्षण निम्न तथ्यों तथा आधारों पर प्रस्तुत करता  
है :-

निरन्तर.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 948-पीबीआर/14

जिला भोपाल

न्याय तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री राजेश सक्सेना, अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 3 से 7 की ओर से श्री अमित गुप्ता, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । शेष अनावेदक पक्ष सूचित हों ।</p> <p style="text-align: center;">                       ABR                 </p> <p style="text-align: right;">                       अध्यक्ष                 </p>	